भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 80AA 958845

यह जनरल स्टाम्प पेपर [illegible] समिति, [illegible] कासगंज,

जिला [illegible] 1767

[illegible]

[illegible] 12

उत्तर प्रदेश

उप निबन्धक

[illegible] फर्म्स एवं सोसाइटी

21-4-2011

Manager
N.R. Public School
Prahaladpur, Soron
(Kanshiram Nagar)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 80AA 958844

यह जनरल स्टाम्प पेपर रेणुका देवी शिक्षा समिति, सहावर गेट कासगंज के पीछे आर्य भवन कासगंज, ...फाइल नं॰ सि-47467 ... के साथ संलग्न है।

सं॰प्रा॰स्मृति पत्र

उप निबन्धक
... फर्म्स सोसाइटी तथा चिट्स ...

21-4-2011

Manager
N.R. Public School
Prahaladpur, Soron
(Kanshiram Nagar)

AnyScanner

रेणुका देवी शिक्षा समिति सहावर गेट कमला मार्केट के पीछे आर्यभवन कासगंज जिला कांशीराम नगर की प्रबन्धकारिणी समिति की सूची वर्ष–2011–2012

क्रम सं0 नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–श्रीमती ऊषा राजपूत पुत्रीश्री रामस्वरूप	सहावर गेट कमला मार्केट के पीछे कासगंज जिला–कांशीराम नगर	अध्यक्ष	सेवारत
2–श्री जयप्रकाश वर्मा पुत्रश्री छोटेलाल वर्मा	नई वस्ती नीयर पुलिस स्टेशन गंजडुण्डवारा एटा	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3–श्री विवेक कुमार राजपूत पुत्रश्री अनार सिंह वर्मा	सहावर गेट कमला मार्केट के पीछे कासगंज जिला–कांशीराम नगर	प्रबन्धक / सचिव	समाजसेवा
4–श्री साहब सिंह वर्मा पुत्रश्री आर एस वर्मा	गली अवन्तीबाई सहावर गेट कासंगज जिला कांशीराम नगर	उपप्रबन्धक / उपसचिव	सेवारत
5–डा0 महीप शर्मा पुत्रश्री हलधर मिश्र	ग्रा0 जिन्हैरा पो0 मिरहची जिला एटा	कोषाध्यक्ष	चिकित्सक
6–श्री हरिओम वर्मा पुत्रश्री बेचेलाल	ग्रा0 सफाखेडा छिबरामऊ फर्रूखाबाद	सदस्य	कृषि
7–श्री सुरेश चन्द्र वर्मा पुत्रश्री रामदास	ग्रा0 व पो0 अमापुर जिला कांशीराम नगर	सदस्य	व्यापार
8–श्री लज्जाराम वर्मा पुत्रश्री नाथूराम	ग्रा0 हमीरपुर पो0 सिढ़पुरा जिला कांशीराम नगर	सदस्य	सेवारत
9–श्री आदित्य कुमार पुत्रश्री राधेश्याम	कस्बा व पो0 भोगाव जिला मैनपुरी	सदस्य	अध्यापन
10–श्री अशोक कुमार पुत्रश्री शेर सिंह	ग्रा0 प्रहलादपुर पो0 देवरी प्रहलादपुर जिला कांशीराम नगर	सदस्य	कृषि
11–श्री रामप्रकाश पुत्रश्री तोताराम	ग्रा0 फतेहपुर पो0 मिरहची जिला एटा	सदस्य	सेवारत
12–श्री प्रमोद कुमार पुत्रश्री महेन्द्र सिंह	ग्रा0 अल्लीपुर पो0 अमांपुर ज़िला कांशीराम नगर	सदस्य	सेवारत

महीप शर्मा

सत्य प्रतिलिपि

चन्द्रप्रकाश

उप निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

21-4-2011

Manager
N.R. Public School
Prahladpur, Soron
(Kanshiram Nagar)

संशोधित नियमावली

1—संस्था का नाम— रेणुका देवी शिक्षा समिति

2—संस्था का पता— सहावर गेट कमला मार्केट के पीछे आर्यभवन कासगंज जिला—कांशीराम नगर

3—संस्था का कार्यक्षेत्र— सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश ।

4—संस्था के उद्देश्य — स्मृति—पत्र में दिये गये उद्देश्यों के अनुसार ही रहेगें ।

5—संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग—

जो सज्जन इस संस्था के उद्देश्यों व नियमों में आस्था एवं विश्वास रखते होगें एवं निर्धारित सदस्यता शुल्क एवं चन्दा देंगे वे इस संस्था के सदस्य बनाये जा सकेगें । जो निम्न वर्ग के होगें —

संरक्षक सदस्य—जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 1000/—रू0 सदस्यता शुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के संरक्षक सदस्य आजीवन रहेगें ।

आजीवन सदस्य—जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 500/—रू0सदस्यताशुल्क के रूप में निस्वार्थ भाव से देगें अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति दान स्वरूप देंगे वे इस संस्था के आजीवन सदस्य होगें ।

सामान्य सदस्य—जो सज्जन इस संस्था को 250/—रू0 वार्षिक सदस्यता शुल्क के रूप में दिया करेगें वे इस संस्था के सामान्य सदस्य होगें ।

विशिष्ट सदस्य— ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही होगी एवं संस्था का तन, मन, धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्वान होगें सरकार द्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों, जनप्रतिनिधि सदस्यों को वर्तमान कार्यकारिणी समिति दो वर्ष के लिये संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनीत करेगी ऐसे सदस्य सदस्यता शुल्क से मुक्त होगें उनकी स्वेच्छा से दिया गया दान चंदा संस्था को स्वीकार होगा । ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने एवं भाग लेने का अधिकार न होगा ।

6—सदस्यता की समाप्ति—1—सदस्य की मृत्यु होने, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।
2—आचरण भ्रष्ट होने एवं संस्था विरोधी कार्य करने पर ।
3—किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने पर दण्डित किये जाने पर ।
4—सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर ।
5—संस्था की [illegible] के बताये अनुपस्थित रहने पर।
6—किसी सदस्य के विरूद्ध [illegible] पारित होने पर ।
7—सदस्य [illegible] स्वीकृत होने पर सदस्य की सदस्यता स्वतः ही समाप्त मानी जावेगी ।

7—संस्था के अंग (अ) [illegible] । (ब) प्रबन्धकारिणी समिति ।

8—साधारण सभा (अ) गठन— साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जावेगा ।

(ब) बैठकें [illegible] बैठक वर्ष में एक तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों [illegible] जा सकती है ।

(स) सूचना [illegible] की सूचना सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व तथा [illegible] के किसी भी [illegible] सदस्यों को दी जावेगी ।

(द) गणपूर्ति—गणपूर्ति के लिये [illegible] सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

सत्य प्रतिलिपि

48

उप निबंधक

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

आगरा मं0, आगरा

21-4-2011

Manager
N.R. Public School
Prahaladpur, Soron
(Kanshiram Nagar)

(य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि– संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेशन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के बहुमत से तय की जावेगी।

(र) साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का समय–समय पर चुनाव सम्पन्न कराना ।

2– नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन परिवर्धन 2/3 बहुमत से करना ।

3–वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यकमों की रूप रेखा तैयार पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत/अस्वीकृत करना ।

9–प्रबन्धकारिणी समिति–

(अ)गठन–प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा में से बहुमत से 12 सदस्यों को चुनकर किया जावेगा, प्रबन्धकारिणी समिति में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक/सचिव, एक उप्रबन्धक/उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष एवं शेष कार्यकारिणी सदस्य होगें।

कार्यकारिणीसमिति की संख्या साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कभी भी आवश्यकता नुसार घटाई या बढाई जा सकती है जो कम से कम 7 व अधिक से अधिक 21 होगी।

(ब)बैठकें–प्रबन्धकारिणीसमिति की सामान्य बैठक वर्ष में दो तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है ।

(स) सूचना–अवधि–प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सूचना सदस्यों को 1 दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित या पर्याप्त माध्यम से सदस्यों को दी जावेगी ।

(द)गणपूर्ति–गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

(य)रिक्त स्थानों की पूर्ति– प्रबन्धकारिणी समिति के अर्न्तगत यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त हो जाता है तो इस स्थान/पद की पूर्ति साधारण सभा के बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति में शेष कार्यकाल के लिये कर ली जावेगी ।

(र) प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य–

1–संस्था के उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना ।

2–नियमों विनियमों में संशोधन परिवर्तन 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत कराना ।

3–वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यकमों की रूप रेखा तैयार करना ।

4–संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, अनुदान, चन्दा, ऋण, एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ उद्देश्यों की पूर्ति एवं चैरिटैबिल कार्यो पर व्यय करना ।

5–संस्था के विकास हेतु उपईकाईयों एवं उपसमितियों की स्थाप्ना/गठन करना व उनका संचालन करना।

(ल)कार्यकाल– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा ।

10–पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य–

अध्यक्ष – 1–संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना ।

2–मीटिंग बुलाना व स्थिगित करना, किसी विषय पर बराबर मत की दशा में अपना निर्णायक मत देना ।

3–संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यो को करना व संस्था की आम देखभाल करना ।

उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौपे गये कार्य एवं सामान्य स्थितियों में उनका सहयोग करना ।

Manager
N.R. Public School
Prahaladpur, Soron
(Kanshiram Nagar)

प्रबन्धक / सचिव–1–संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकीसूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना ।

2–संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना व उसका प्रचार प्रसार करना ।

3–संस्था की अचल चल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान अनुदान चन्दा व सदस्यताशुल्क प्राप्त कर सदस्य बनाना, प्राप्त आय को संस्था कोष में जमा करना ।

4–संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना एवं अभिलेखों को अपने पास सुरक्षित रखना ।

5–संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानों व शिक्षण संस्थानों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति निस्कासन पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उसका भुगतान करना ।

6–संस्था के समस्त आवश्यक दस्तावेजों, ऋण अनुदान पत्रों, चैकों, ड्राप्टों बन्धक विलेखों बिल–बाऊचरों पर हस्ताक्षर करना ।

7–संस्था के विकास हेतु अन्य वे सभी आवश्यक कार्य करना जो संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति एवं संस्था विकास में सहायक हों करना ।

उपप्रबन्धक / उपसचिव –संस्था के प्रबन्धक / सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा सौंपे गये कार्य करना सामान्य स्थितियों में उनका सहयोग करना ।

कोषाध्यक्ष– 1–संस्था के आय–व्यय का लेखा जोखा रखना एवं समस्त आय–व्यय बही पत्रों को तैयार करना ।

2–संस्था के कोष को संस्था के खाते में जमा करना एवं दान अनुदान चंदा आदि प्राप्त करना ।

3–प्रबन्धक / सचिव द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व बिल बाऊंचरों का भुगतान करना।

11–संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन प्रकिया–

संस्था के नियमों विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सोसा0रजि0अधि0 की संगत धारा के अन्तर्गत साधारण सभा के 2/3 बहुमत से करना ।

12–संस्था का कोष एवं लेखा व्यवस्था–संस्था का कोष राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जावेगा । जिसका संचालन संस्था के प्रबन्धक / सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा ।

संस्था द्वारा संचालित विद्यालय की छात्रवृत्ति से सम्बन्धित खाता विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं सहायक अध्यापक के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालित होगा ।

13–संस्था का लेखा परीक्षण(आडिट)–संस्था का लेखा परीक्षण प्रति वर्ष सत्र समाप्ति पर किसी योग्य चार्टड एकाउन्टेन्ट द्वारा कराया जावेगा ।

14–प्रतिबन्ध–

1– विद्यालय की पंजीकत सोसाइटी का समय–समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।

2– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

महेश शर्मा

सत्य प्रतिलिपि

50

उप निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

21/4-

ऊषा राजपूत
Manager
N.R. Public School
Prahaladpur, Soron
(Kanshiram Nagar)

3— विद्यालय में कम से कम 10प्रतिशत अनुसूचित जाति—अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चो के लिए सुरक्षित रहेगें और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

4— संस्था द्वारा राज्य सरकार से अनुदान की कोई मॉग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त हैं तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजूकेशन नई दिल्ली/काउंसिल फॉर दी इन्डियन स्कूल सर्टीफिकेट एक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती हैं जो उक्त परीक्षा परिषद से सम्बद्धता समाप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5— संस्था के शिक्षण/शिक्षणोत्तर,कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतन तथा अन्य वेतन नहीं दिये जायेगे।

6— कर्मचारियों को सेवा शर्ते बताई जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निव्रत्त लाभ उपलब्ध कराये जायेगें।

7— राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगे संस्था उनका पालन करेगी।

8— उक्त प्रतिबन्धों में बिना शासन की पूर्वानुमति के बिना कोई भी परिवर्तन अथवा संशोधन नही किया जायेगा।

9— उत्तर प्रदेश शिक्षा सहिंता की धारा 105से 107के अन्तर्गत विभिन्न वर्गो के छात्रों को अनुमान शुल्क—मुक्ति संस्था के छात्रों को प्रदान की जावेगी।

10— विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पत्रिकाओं में रखा जायेगा यदि हॉ तो प्रबन्धकारिणी का इस आशय का प्रस्ताव संलग्न करे कि विद्यालय को विभाग/शासन के सभी प्रतिबन्ध कम 1—10तक स्वीकार हैं।

15—संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व— संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के प्रबन्धक/सचिव द्वारा अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जावेगी ।

16—संस्था के अभिलेखः— 1—सदस्यता रजिस्टर
2—कार्यवाही रजिस्टर ।
3—कैशबुक रसीद बुक,एजेण्डा रजिस्टर
4—निरीक्षण रजिस्टर आदि ।

17—संस्था का विघटन—संस्था का विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा—13 व 14 के अर्न्तगत की जावेगी ।

दिनॉक-21-4-2011 सत्यप्रतिलिपि

महेश शर्मा

51

21-4-2011

Manager
S.N.R. Public School
Prahladpur, Soron
(Kanshiram Nagar)